

2022/141

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत- सहायक कलेक्टर मुकाम- डीडवाना

प्रार्थी:- भंवराराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल निवासी खुड़ी निम्बी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ।

बनाम्

अप्रार्थीगण:- लालाराम पुत्र भुराराम जाति मेघवाल निवासी खुड़ी निम्बी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान वगैराह ।

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 56 सन्-.....2022..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28.02.2022	<p>प्रार्थी भंवराराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल निवासी खुड़ी निम्बी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण लालाराम पुत्र भुराराम जाति मेघवाल निवासी खुड़ी निम्बी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान वगैराह के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद खुड़ी निम्बी के खसरा सं० 319, 374, 546/103, 18, 19 में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी पक्ष सी०पी०सी० की धारा 39 की धारा 3(a) की पालना करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 25.04.2022 को पेश हो।</p> <p><i>GAH</i> सहायका कलेक्टर डीडवाना (नागौर)</p>	<p><i>भंवराराम</i></p> <p><i>भंवराराम</i></p> <p>25/4/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के सम्मन तलब का पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18/5/22 को पेश हो।</p> <p><u>पुनश्च:</u> इतना लिखने पर वकील वादी ने मूल वाद जरिये विग्रह स्वारिज करवा दिया है। मूल वाद स्वारिज होने से इस प्रार्थना-पत्र को कोई औचित्य नहीं रह जाता है। → लगातार</p> <p><i>सहायका कलेक्टर</i> डीडवाना (नागौर)</p>

25/10/22 अतः प्रार्थना-पत्र स्वामिजं किया जाता है।
पत्रावली कुसल शुभार होकर वा खिल
कपतर है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)